

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.8(ग) (04) नियम/डीएलबी/2026/06

दिनांक: 3/1/26

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 326 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा जिन नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिकाओं में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त किया गया है, उनमें लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु, संबंधित आयुक्त/अधिशायी अधिकारी को, एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:प.8(ग) (04) नियम/डीएलबी/2026/07-393 दिनांक: 3/1/26
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान ।
6. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान ।
7. आयुक्त/अधिशायी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान ।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान ।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Signature valid

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Jaihar
Designation: Director
Date: 2026.01.08 18:26:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.
19823559

